न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 52/2019 **दायर दिनांकः 12/06/2019**

उनवान

1. बृजेश आयु 32 वर्ष पुत्र रामस्वरूप जाति धाकड निवासी नृसिंहपुरा

वादी

बनाम

1. रामस्वरूप आयु 60 वर्ष पुत्र हरदयाल जाति धाकड निवासी नृसिहपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 (ए) आर.टी.एक्ट.
एवं 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री भीमराज नागर

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर। ।

आदेश दिनाकः 19/02/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 91, 92ए आर0टी0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल नृसिंहपुरा तहसील अटरू में खाता संख्या 153 ख0नं0 396 रकबा 4.37 है0 कुल किता 1 का रकबा 4.37 है0 आराजी वादीगण के पिता पति रामस्वरूप प्रतिवादी क्रम 1 के दर्ज खाता हैं जिसके एक मात्र वारिस एवं पुत्र पत्नि हम वादीगण हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। उक्त वर्णित आराजी पैतृक है जो प्रतिवादी को उनके पूर्वजो से विरासत मे प्राप्त हुई हैं। वादीगण के पिता की उक्त वर्णित आराजी मे वादीगण का जन्म से, शादी का बाद से अधिकार है वादीगण के पिता व पति उक्त वर्णित आराजी को कही रहन व बैचान करना चाहता है जिसका उसे कोई अधिकार प्राप्त नही है अगर वह ऐसा करते है तो हमारे नैसर्गिक अधिकारो का हनन होगा अतः वादीगण का अधिकार हैं कि प्रतिवादी क्रम 1 के खाते की उक्त आराजी मे वादीगण का हिस्सा सम भाग राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करवाने की घोषणा के अधिकारी हैं। जिसको बिना न्यायालय की सहायता के नही करवाया जा सकता हें। अस्तु

यह वाद पेश हैं। वादीगण को प्रतिवादी क्रम 1 के पिता व पति ने काश्त करने को अलग अलग आराजी दे रखी हैं। लेकिन आराजी मे हमारा हिस्सा दर्ज नही होने से कृषि विकास कार्य व खाद बीज खरिदने, बैंक से ऋण प्राप्त करने आदि समस्याओ का सामना करना पडता है। अतः वादीगण का नाम वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में सयुक्त रूप से समभाग राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जावे जिसके हम अधिकारी हैं। वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित आराजी मुताबिक जमाबन्दी के अनुसार बैंक के रहन दर्ज हैं। उक्त वर्णित आराजी वादीगण के खाते दर्ज करने पर बैंक के रहन भार का नोट वादीगण के हिस्से पर दर्ज करने मे वादीगण को किसी प्रकार की आपत्ति नही हैं। वादीगण बैंक के ऋण को अदा करने के अधिकारी होगें। यह कि राजस्थान सरकार भूमि धारक होने एवं राजस्व रिकार्ड का संधारण करने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। उनके खिलाफ कोई अनुतोष नही चाहा गया है मामला मात्र नाम दुरूस्ती का है इसलिए उन्हे 80 सी.पी.सी. का नोटिस नही दिया गया हैं। वाद कारण वादीगण द्वारा कई बार प्रतिवादीगण से हमारा नाम खाते मे सयुक्त रूप से दर्ज करने का मौखिक निवेदन के बावजूद भी नही करने पर व अन्तिम बार मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षैत्र मे उत्पन्न हुआ। वाद की विषय वस्तु व पक्षकारान तहसील क्षैत्र अटरू मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार प्राप्त हैं। वाद उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य प्रस्तुत हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री मय खर्चा वाद फरमाई जावे किः—

(अ) यह कि वादीगण का नाम वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के साथ सयुक्त रूप से खातेदार घोषित किया जाकर सम भाग राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी क्रम 2 को दिया जावें।

(ब) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवायी जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया है वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नही है। तथा प्रतिवादी

के खाते आराजी में वादी क्रम 1 को समभाग रूप से खातेदार कृषक घोषित करने में प्रतिवादी एवं वादीगण को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार फरमाया जाकर दावा डिक्री फरमाने की कृपा करें।

राजीनामा पढ़कर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया गया वादीगण की पहचान श्री भीमराज नागर एड़0 द्वारा की गई तथा प्रतिवादी की पहचान श्री महावीर नागर द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा0फा0 किया गया। अभिभाषकगण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया विवादित आराजी ग्राम नृसिंहपुरा की खाता संख्या 153 ख0नं0 396 रकबा 4.37 है0 कुल किता 1 रकबा 4.37 है0 वादीगण के पिता के खाते दर्ज है। जो प्रतिवादी को उनके पूर्वजों से विरासत मे प्राप्त हुई है। जो पैत्रिक सम्पत्ति होने से वादी का जन्म से अधिकार निहित है।

अतः न्यायहित में आपसी सहमति से वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

—::कियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम नृसिंहपुरा की खाता संख्या 153 किता 1 कुल रकबा 4.37 है0 वादी को हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी को 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। रहन का नोट प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में दर्ज किया जावे। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 52/2019

उनवान

1. बृजेश आयु 32 वर्ष पुत्र रामस्वरूप जाति धाकड निवासी नृसिंहपुरा

वादी

बनाम

1. रामस्वरूप आयु 60 वर्ष पुत्र हरदयाल जाति धाकड निवासी नृसिहपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 (ए) आर.टी.एक्ट.
एवं 136 एल.आर.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री भीमराज नागर।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम नृसिंहपुरा की खाता संख्या 153 किता 1 कुल रकबा 4.37 है0 वादी को हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी को 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। रहन का नोट प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में दर्ज किया जावे। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 19.02.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.03.19 14:46:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: